न्यायालय सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)बालोतरा

पीठासीन अधिकारी–श्री विवेक व्यास आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :–124 / 2010

वादीगण

1.तेजाराम पुत्र कानाराम

2.चैनाराम पुत्र कानाराम

जाति प्रजापत निवासी रेवाड़ा मैया

तहसील पचपदरा

बनाम

प्रतिवादी

1.भूराराम पुत्र मथराजी

2.सूजाराम पुत्र मथराजी

3.अणदाराम पुत्र मथराजी

कौम प्रजापत

निवासी रेवाड़ा मैया तहसील पचपदरा

व जिला बाड़मेर

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

1. श्री चेलाराम कुमावत व श्री जूजाराम पटेल अधिवक्ता वादीगण की ओर से उपस्थित।
2. श्री खुशहालराम पटेल अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से उपस्थित।
3. प्रतिवादी संख्या 04 अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक– 22/6/2023

1. संक्षेप में वाद के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का संयुक्त हिन्दू खानदान की पैतृक भूमि ग्राम रेवाड़ा मैया तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 100 रकबा 37–02 बीधा व खसरा संख्या 206 / 102 रकबा 14 बीधा कुल रकबा 51–02 बीधा भूमि आई हुई है। मथरा व काना दोनों भाई है,मथरा के वारिस प्रतिवादी संख्या 1 से 3 है, व काना के वारिसान वादीगण है। मथरा परिवार में बड़ा होने के कारण परिवार का कर्ता धर्ता था और मथरा द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vy
Date: 2023.07.16 21:29:41
Reason: SelfAttested

22.6.2023

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

वादग्रस्त भूमि अपनी आवगी खातेदारी में इन्द्रांज करवा दी गई। जबकि मथरा के साथ काना का भी बहिस्सा आधे पर कब्जा काश्त था और काना के बाद वादीगण का आधे हिस्से पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। लेकिन मथरा द्वारा सेन्टलमेंट अधिकारीयों से मिलीभगत करते हुए आवगी वादग्रस्त भूमि अपनी खातेदारी में इन्द्राज करवा दी गई। अतः वादग्रस्त भूमि में वादीगण का 1/2 हिस्सा खातेदारी धोषित करवानें व प्रतिवादी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवानें के लिए यह वाद पेश किया गया।

2.वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया। वकील श्री खुशहालराम पटेल द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से वकालतनामा पेश किया और वादीगण के वाद तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जवाबदावा पेश कर वादीगण का वाद खारिज करने का निवेदन किया गया।

<u>तनकी संख्या 01</u>–आया वादीगण मौजा रेवाड़ा मैया के खेत खसरा संख्या 100 रकबा 37–02 बीधा व खसरा संख्या 266/102 रकबा 14 बीधा भूमि में वादीगण 1/2 हिस्सा की खातेदारी धोषित करवानें के अधिकारी है   जिम्मे–वादीगण

<u>तनकी संख्या 02–</u>आया वादीगण प्रतिवादी के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवानें के अधिकारी है   जिम्मे–वादीगण

<u>तनकी संख्या 03–</u> अन्य सहायता

3.वादीगण गवाहान साक्ष्य में PW-01 चैनाराम,PW-02 प्रभूदान व PW-03 मोहनसिंह द्वारा लिखित बयानात स्वरूप शपथ पत्र पेश किए और प्रतिवादी वकील द्वारा जिरह की गई,जो कलमबद्व की गई। वादीगण की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श–1 लोक अदालत का आवेदन पत्र,प्रदर्श–2 दावा की नकल,प्रदर्श–3 जवाबदावा की नकल,प्रदर्श–4 जमाबंदी की नकल व प्रदर्श–5 पटवारी से प्राप्त जमाबंदी नकल पेश की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.07.16 21:29:41 IST
Reason: SelfAttested

4.प्रतिवादी गवाहान साक्ष्य में DW-01 अणदाराम व DW-02 रामलाल द्वारा लिखित बयानात स्वरूप शपथ पत्र पेश किए। दस्तोवजी साक्ष्य में ई.एक्स.ए 1–खसरा

कार्यालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

22.6.2023
सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

संख्या 102 नामान्तकरण संख्या 16 की प्रति व ईएक्स.ए 2–जमाबंदी नकल प्रति पेश की गई।

5.हमने दोनो पक्षो के विद्वान अधिवक्ताओ की बहस सुनी। वक्त बहस वादीगण के वकील ने वाद तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस में तर्क दिए कि वादग्रस्त भूमि पैतृक है। वादीगण के पिता कानाराम व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पिता मथरा भाई है,जो वक्त सेन्टलमेंट हिन्दु संयुक्त परिवार में रहते थे। दोनो का रहवास,व्यवसाय,कृषि भूमि शामलित में थी और मथरा परिवार में बड़ा था तथा कानाराम अल्प व्यस्क था। इस प्रकार मथरा परिवार में बड़ा होने के कारण परिवार का कर्ता धर्ता व बड़ा होने के कारण परिवार का मुखिया था,इनकी संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम रेवाड़ा मैया तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 100 रकबा 37–02 बीघा व खसरा संख्या 266/102 रकबा 14 बीघा कुल रकबा 51–02 बीघा भूमि अवस्थित थी। जिसमें मथरा व काना का बहिस्सा आधा आधा पर कब्जा काश्त चला आ रहा है,कि वादीगण के पिता अल्प व्यस्क होने का नाजायज फायदा उठाकर मथरा द्वारा आवगी भूमि अपनी खातेदारी में दर्ज करवा दी गई। जबकि वादीगण के पिता काना व बाद में वादीगण का आदिनांक आधे हिस्से पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। जब कानाराम द्वारा वादग्रस्त भूमि में नाम दर्ज नहीं होने का पता चला तो प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने अपनी सहमति में वर्ष 1986 में आयोजित राजस्व लोक अदालत में इकबालीया जवाब पेश किया,जो अपने आप में साबित होता है,कि वादीगण के पिता का वादग्रस्त भूमि में आधा हिस्से पर कब्जा काश्त है और प्रतिवादी पक्ष ने वादीगण के कब्जा काश्त होना स्वीकार भी किया गया। लेकिन [illegible] के कब्जा काश्त में प्रतिवादी पक्ष द्वारा दख[illegible] को धमकिया दी गई,कि वादीगण का वादग्रस्त भूमि में नाम नहीं होने के कारण उनको मौके से बेदखल कर दिया जावेगा। तब वादीगण की ओर से खातेदारी घोषित का वाद पेश किया गया। अपनी बहस को आगे जारी रखते हुए तर्क दिये

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.07.16 21:29:41 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

22.6.2023

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

कि वादीगण की ओर से साक्ष्य गवाहान व दस्तोवजी साक्ष्य सबूतो से भी प्रमाणित है,कि वादग्रस्त भूमि पैतृक है और वादीगण का वादग्रस्त भूमि में आधे हिस्से पर कब्जा काश्त है। अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि में 1/2 हिस्सा वादीगण की खातेदारी धोषित की जाकर प्रतिवादी के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे। अपनी बहस के समर्थन में 2011 डी.एन.जे.(एस.सी.) पृष्ठ 456 व 2011 डी.एन.जे.(एस.सी.) पृष्ठ 461 के न्यायिक द्वष्टांत पेश किए गए।

6. इसके विपरीत वकील प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की बहस है,कि वादीगण का वाद सारहीन तथ्यों के आधार पर पेश किया है,जो खारिज योग्य है। क्योकि मथरा व कानाराम एक ही हिन्दू संयुक्त परिवार से नहीं है। मथरा व काना चार पांच पीढी दूर से भाई लगते है। वादीगण की ओर से वंश वंक्षावली गलत बताई गई है,मादाराम के पिता का नाम हमीरजी नहीं होकर भानाराम है। मथरा व कानाराम का संयूक्त हिन्दू परिवार नहीं था। दोनो ही अलग अलग रहते थे और वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पिता मथरा के नाम वक्त सेन्टलमेट इन्द्राज है और वक्त सेन्टलमेंट पूर्व से आदिनांक मथरा व उसके बाद प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का कब्जा काश्त चला आ रहा है। सेटलमेंट में कब्जा काश्त अकेला मथरा का होने के कारण उसके नाम इन्द्राज हुई। वादीगण के पिता कानाराम का कभी वादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त नहीं रहा है और खसरा संख्या 266/102 रकबा 14 बीधा भूमि मथरा को जमीन कम होने के कारण सरकारी भूमि नियमन करते हुए प्राप्त हुई है,जिसमें वादीगण का कोई हक हिस्सा नहीं है। वादीगण की ओर से मनगढत वादपत्र में अंकन किया है,कि वादग्रस्त भूमि कें संबध में राजस्व लोक अदालत में प्रतिवादी की ओर से वादीगण का वादग्रस्त भूमि में आधा हिस्सा स्वीकार कर इकबालीया जवाब पेश किया था,ऐसा प्रतिवादी की ओर से पेश नहीं किया गया था,यदि ऐसा पेश हो रखा है तो वादीगण की ओर से मिलीभगत करते हुए अन्य से फर्जी तौर पर पेश करवा होगा,प्रतिवादी की ओर से ऐसा कोई जवाब पेश नहीं किया गया। अपनी बहस को आगे ओर जारी रखतें हुए तर्क दिए कि वादग्रस्त भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.07.16 21:29:41 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

22.6.2023
सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

उक्त सेन्टलमेंट प्रतिवादी की खातेदारी में इन्द्राज हुई थी और आदिनांक रेकर्ड में प्रतिवादी की खातेदारी में अवस्थित चली आ रही है और वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी पक्ष का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है,जिसमें वादीगण का कोई हक हकूक निहित नहीं है। वादीगण की ओर से वाद केवलमात्र वर्तमान में वादग्रस्त भूमि की कीमते बढने के कारण व प्रतिवादी की भूमि को हड़प करने की नियत से वाद पेश किया है। जिसमें वादीगण को सफलता मिलनें की रति भर भी गुजाईश नहीं है। ऐसी सूरत में वादीगण का वाद मय खर्चा खारिज फरमाया जावें।

7.हमनें दोनों पक्षो के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड,दस्तावेजात,बयानात व न्यायिक द्वष्टांतो का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। प्रकरण में कायम तनकीयात के आधार पर प्रकरण का निस्तारण किया जा रहा है।

तनकी संख्या 01– आया वादीगण मौजा रेवाड़ा मैया के खेत खसरा संख्या 100 रकबा 37–02 बीधा व खसरा संख्या 266/102 रकबा 14 बीधा भूमि में वादीगण 1/2 हिस्सा की खातेदारी धोषित करवानें के अधिकारी है जिम्मे–वादीगण

इस तनकी कों सिद्व करने का जिम्मा वादीगण पर है,वादी पक्ष की ओर से वादी साक्ष्य में पी.डब्ल्यू 01 से 03 गवाहान पेश किए और दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श–01 से 05 पेश किये। जिसमें पाया कि वादीगण की ओर से बयानात के साथ प्रदर्श–1 से प्रदर्श 3 श्रीमान सहायक जिलाधीश बालोतरा के सम्बोधन में लोक अदालत द्वारा विवाद के निपटारे हेतु आवेदन पत्र,जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से जबाव प्रदर्शित करवाया गया। लेकिन तत्कालीन अधिकारी द्वारा जवाब तस्दीक नहीं कर रखा है और यह कहीं सिद्व नहीं हो पा रहा है,कि किस प्रकरण में जवाब पेश [illegible]। यह भी सिद्व नहीं होता है कि वादग्रस्त भूमि पैतृक है और [illegible] प्रतिवादी [illegible] से के साथ वादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त हो। यह इकबाली जवाब के [illegible]त्र पक्षकारान की आपसी सहमति को दर्शाता है। इकबाली जवाब पेश किए जाने से दावा स्वीकार नहीं हो सकता है,दावा को साबित करने के लिए दस्तावेजी साक्ष्य मायने रखतें है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.07.16 21:29:41 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

22.6.2023

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

लेकिन ऐसा वादीगण पेश करने में असफल रहें है। जबकि इसके विपरीत प्रतिवादी पक्ष की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य ईएक्स.ए 1—नामान्तकरण संख्या 16 के अवलोकन से स्पष्ट है,कि वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 102 रकबा 14 बीधा राजस्थान सरकार खाता संख्या 01 में इन्द्राज थी और प्रतिवादी के वालिद मथरा वल्द मादा कौम कुम्हार सा.देह को रेगूलराइज करने के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए। इससे स्पष्ट साबित है कि खसरा संख्या 102 पैतृक खातेदारी का नहीं है और प्रतिवादी के वालिद मथरा वल्द मादा को कब्जा के आधार पर रेगूलराइज के जरीयें प्राप्त हुई है। इसी प्रकार खसरा संख्या 100 रकबा 37—02 बीधा भूमि मथरा वल्द मांदा कौम कुम्हार सा.देह खातेदार के नाम जमाबंदी संवत 2023 से 2026 में इन्द्राज है,जो ईएक्स.ए 2 प्रदर्श है। उक्त दस्तोवजी साक्ष्य सबूतो से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी के वालिद मथरा वल्द मादा कौम कुम्हार की खातेदारी की है और उक्त वादग्रस्त भूमि में वादीगण का कोई हक हकूक नहीं बनता है। क्योंकि वादीगण की ओर से ऐसा दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया,जिससे साबित होता हो कि वादग्रस्त भूमि पैतृक हो और वादीगण का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त हो। जबकि इसके विपरीत,प्रतिवादी पक्ष यह साबित करने में सफल रहा है कि वादग्रस्त भूमि में खसरा संख्या 100 प्रतिवादी की वक्त सेन्टलमेंट खातेदारी की ही हैं और खसरा संख्या 102 प्रतिवादी के वालिद मथरा वल्द मादा को रेगूलराइज के जरीये प्राप्त हुए है। इस प्रकार वादीगण वादग्रस्त भूमि में कोई अधिकार नहीं रखतें है। जबकि वादीगण की ओर से वादपत्र में दर्शित वंश वृक्षावली को प्रतिवादी पक्ष द्वारा अस्वीकार किया गया और वादीगण यह साबित नहीं कर पाये कि मथरा व काना दो भाई हो और एक ही हिन्दू संयुक्त परिवार से आते हों। पी.डब्ल्यू—01 चैनाराम से वकील प्रतिवादी द्वारा जिरह की गई,जि[illegible] मीरा व मादा दोनो सगे भाई है,जबकि वादपत्र में मा[illegible] उल्लेखित किया है,जो कि अपने आप में विरोधाभास है। क्योंकि यह वादीगण को साबित करने का जिम्मा है कि वंश वृक्षावली सही है,लेकिन यह वादी पक्ष साबित नहीं कर पाया है एवं जिरह में चैनाराम ने स्वीकार किया है कि वादग्रस्त भूमि मे से खसरा संख्या 102 रकबा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.07.16 21:29:41 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

22.6.2023

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

14 बीघा भूमि मथरा अकेले को आवंटन होने पर वादीगण की ओर से वाद लाया गया। इससे यह प्रतीत होता है कि वादग्रस्त अन्य खसरा संख्या 100 में वादीगण स्वंय अपना कोई हक हकूक नहीं होना मानता है। क्योंकि स्वंय वादी चैनाराम द्वारा जिरह में स्वीकार किया है,कि 14 बीघा भूमि प्रतिवादी वालिद मथरा को आवंटन होने पर ही वाद लाया गया है,क्योंकि मथरा अकेले को भूमि आवंटन हुई है। वादी पक्ष की ओर से स्वतंत्र गवाह पी.डब्ल्यू. 2 व 03 के बयानात व जिरह से यह कहीं साबित नहीं हो पाया कि वादग्रस्त भूमि पैतृक हो और वादीगण का मौके पर कब्जा काश्त हो। न्यायिक दृष्टांत 2011 डी.एन.जे.(एस.सी.)पृष्ठ 456 (भाग–अ)किरायेदारी अधिनियम 1956–धारा 13(6) बेदखली के लिए याचिका से संबधित है व (भाग ब)–साक्ष्य अधिनियम 1872 धारा 17–स्वीकृति–न्यायालय में की गई स्वीकृति वैध और प्रासंगिक साक्ष्य है,जिसका उपयोग किया जाना चाहिए,के संबध में न्यायालय का यह मानना है,कि हस्तगत वाद खातेदारी घोषणा से संबधित होने के कारण ससम्मान न्यायिक द्रष्टांत हस्तगत प्रकरण में चस्पा नहीं होतें है। इसी प्रकार न्यायिक द्रष्टांत 2011 डी.एन.जे.(एस.सी.) पृष्ठ 461 मोतीराम बनाम अशोककुमार वगैरा प्रकरण में सी.पी.सी.1908 धारा 89(2) ए–न्यायालय के बाहर विवाद का निपटारा–मध्यस्थता के लिए भेजा गया मामला–मध्यस्थता की कार्यवाही पूरी तरह से गोपनीय कार्यवाही है–मध्यस्थों की रिपोर्ट–रिपोर्ट में पाटियों द्वारा दिए गए प्रस्तावों का उल्लेख नहीं होना चाहिए–मध्यस्थता विफल होने पर,मध्यस्थ को चाहिए कहां कि मध्यस्थता असफल मघ्यस्थता प्रक्रिया की गोपनीयता होनी चाहिए,से उद्वित है। जो कि हस्तगत प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजात में ऐसा कहीं नहीं पाया कि पक्षकारान के मध्य विवाद निपटारें के लिए मध्यस्थता हुए हो। ऐसी सूरत में उक्त न्यायिक दृष्टांत ससम्मान उक्त प्रकरण पर चस्पा नहीं होता है। उपरोक्त विवेचन से [illegible] साबित है कि वादग्रस्त भूमि में वादीगण का कोई हक हकूक निहित नहीं है। ऐसी सू[illegible] तनकी संख्या 01 वादीगण सिद्ध नहीं कर पाये है,यह तनकी वादीगण के विरूद्ध [illegible]र्णीत की जाती है।

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

22.6.2023

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.07.16 21:29:41 IST
Reason: SelfAttested

तनकी संख्या 02–जिसे जिसे सिद्ध करने का जिम्मा वादी पक्ष पर है। जब तनकी संख्या 01 वादीगण सिद्ध नहीं कर पाये हैं,तो स्थाई निषेद्याज्ञा जारी करवाने के हकदार नहीं हे। जो तनकी संख्या 02 भी वादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

8. उपरोक्त विवेचन के उपरांत अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची है,कि तनकी संख्या 01 व 2 वादीगण साबित नहीं किये जाने के कारण वादीगण का वाद खारिज योग्य हैं।

9. लिहाजा वादीगण का वाद तनकी संख्या 01 व 2 सिद्ध नहीं करने के कारण खारिज किया जाता है।

(विवेक व्यास)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 22/6/2023 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

22.6.2023

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.07.16 21:29:41 IST
Reason: SelfAttested